Vivekanand Vipf.
Institute of Edu.
Bignanika Nagar
Yari, A.N.
Trusty – Subodh Kr. Srivastav.

अनुसूचि 21 – प्रपत्र संख्या 113

सम्पति अवभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र, सं0 459 2016 आवेदन संख्या-

चुकि श्री Manager, PNB, Dandwar, A.N. मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित सम्पति के सम्बध में निबंधित संव्यवहारों और अवभारों का संविवरण : प्रमाण-पत्र दिया जाय,

(आवेदन में तथ्य के अनुसार विवरण दें।)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त सम्पति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों के बारे में बही नं0-1 में और उसके सम्बद्ध अनुक्रमणियों में तारीख 01/01/2001 201 से तारीख 30/04/16 201 तक तलासी की गई और ऐसी तलासी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है :-

क्रम संख्या	(क) सम्पति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम निष्पादक	पक्षों के नाम दावेदार	दस्तावेजों की प्रविष्टि के प्रति निर्देश जिल्द संख्या	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mouza	Thana No.	Khata No.	plot No.	Area of land			
	Yari	871	38	419	80 dec			
			104	409				

Schedule XXI-Form No. 87 (H) S.N. 459

RECEIPT FOR FEES DEPOSITED FOR SEARCH & COPY

Serial number of application

Date of application

Name of applicant Vivekanand Vipf Inst. of Edu. Bignanika Nagar, Yari

Fees Paid 340/-

Stamp Paper for

Date of deposit

19/5/16 Registering Officer

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) 1. बंधक-पत्र की में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। वैधता की इनके बारे में उल्लेख हो।

2. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ उपर्युक्त सव्यवहार और अवभारों को छोड उक्त सम्पति प्रभावित करने वाले किसी अन्य सव्यवहार और अवभार का पता यहाँ चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की और प्रमाण - पत्र तैयार किया

(हस्ताक्षर) [signature]

(पदनाम) UDC

तलासी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की

(हस्ताक्षर) [signature]

(पदनाम) UDC

कार्यालय District Registration office. Aurangabad.

तारीख 19/05/16 मुहर

[signature]

निबन्धन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी :- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत सम्प्रति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्ही इन्ही सम्पतियों को निबन्धित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन्स) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(2) निबन्धन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स)की प्रविष्टयाँ देखना चाहते हो, अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेने चाहते हों अथवा जिन्हे विनिर्दिष्ट सम्पतियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हे तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियां और अनुक्रमणियां उनके सामने रख दी जायेगी।

(3) किन्तु चूकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिए कार्यालय में अपेक्षित तलासी अपने भरसक सावधानी से की है, फिर भी, विभाग प्रमाण-पत्र में दिए गये तलासी परिणाम और किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(4) और, चुकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है और चुकि उनके द्वारा ढूंढे गये संव्यवहारों और अवभारों की सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है। इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ने ढूंढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार होगा। जिससे उक्त सम्पति पर प्रभाव पड़ता हो।